प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

30.06.2016 **की स्थिति के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम** , 2005 **की धारा** 25 (3) **के अधीन मानीटरिंग और रिपोर्ट**

October, 2016 **माह के दौरान प्राप्त कुल आवेदन** : 83 **और प्राप्त राशि** : **रु**. 60/-

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम	श्री अरूण कुमार सरकार, अवर सचिव (प्रशा.II)	श्री खामचिन नाउलक, अवर सचिव (प्रशा.I)	श्रीमती रेणु अरोड़ा, अवर सचिव (ओ & एम)	विभूति पंजियार, अवर सचिव (ई-गव.)	श्री दीन दयाल, अवर सचिव (ई-गव.ए)	श्री एस. बंद्योपाध्या)य अवर सचिव (एआरसी)	श्री अलोक जगभरिया, अवर सचिव (एआर-I)	श्री ग्या। प्रसाद, अवर सचिव (एआर-II)	श्री धनन्जा।य कुमार, अवर सचिव (डी&डी-II)	श्री जितेन्द्री सिहवाग, अवर सचिव (डी&डी-I)	श्री प्रमोद भारद्वाज, अवर सचिव (आईई&सी)	श्री जे.के. अम्बआवा।नी अवर सचिव (आईई&सी-II)	श्रीमती प्रतिभा अहूजा, अवर सचिव (पीजी-सी1)	श्रीमती **प्रिस**का **मैथ्यू** अवर सचिव (पीजी-राज्यू)	श्री हेमंत वर्मा, अवर सचिव (पीजी)	श्री **अजित कुमार साह**, अवर सचिव (पीजी-सी2)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
धारा 25 (3)																
(क) प्रत्येक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्याो	34	3	5	शून्य	1	7	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	7	10	7	3
(ख) ऐसे विनिर्णयों की संख्याो जहां आवेदक, अनुरोधों के अनुसरण में दस्ताणवेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिर्णय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

किए गए थे और ऐसे समयों की संख्याक जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया																
(ग) पुनरीक्षा के लिए केंद्रीय सूचना आयोग को निर्दिष्टर अपीलों की संख्या, इन अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कंर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई आनुशासनिक कार्रवाई का ब्यौररा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ड़) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येाक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की राशि	60	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(च) कोई ऐसे तथ्य जो इस अधिनियम की	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को दर्शाते हैं																
(छ) सुधार के लिए समुचित सुझाव जो विकास, सुधार, आधुनिकीकरण एवं सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के लिए इस अधिनियम अथवा अन्यम विधान अथवा सामान्य् विधि अथवा अन्यम किसी संगत मामले में संशोधन के लिए सुधार के लिए अपेक्षित हो																

** विभाग की वेबसाइट http://darpg-grievance.nic.in में भारत में कहीं भी, किसी भी वेब आधारित सुविधा के जरिए कोई भी नागरिक शिकायतें दर्ज करा सकता है ।